

निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर फारदक बड़ीसादड़ी

श्री जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 37/14

वादपत्र धारा 53 88 188 आर.टी.एक्ट

1- मु० नारायणी बेवा गंगाराम जाति भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) तह० बड़ीसादड़ी
- चादीगा

॥ बनाम ॥

- 1- प्रभूडी पिता गंगाराम भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) तह० बड़ीसादड़ी
- 2- दुर्गा पिता गंगाराम भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) तह० बड़ीसादड़ी
- 3- रेखा पिता गंगाराम भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) तह० बड़ीसादड़ी
- 4- भाना पिता रकबा भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) तह० बड़ीसादड़ी
- 5- सका पिता रकबा भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) तह० बड़ीसादड़ी
- 6- प्रकाश पिता मांगु भीणा ना.स. माता कमलीबाई बेवा मांगु भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा)
- 7- कमलीबाई बेवा मांगु भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) तह० बड़ीसादड़ी
- 8- बाबरूसिंह पिता दौला भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) तह० बड़ीसादड़ी
- 9- केसरसिंह पिता दौला भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) तह० बड़ीसादड़ी
- 10- तहसीलदार बड़ीसादड़ी

- प्रतिवादीगण

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण में तहसीलदार बड़ीसादड़ी के द्वारा फर्द बटवाड़ा प्राप्त हो चुका है। माफिक फर्द बटवाड़ा वाद चादी अंतिम डिकी किया जाता है।

मौजा लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा) की आराजीयात का विभाजन निम्न प्रकार पक्षकारान के मध्य किया जाता है -

1- मु० नारायणी बेवा स्व. गंगाराम प्रभूडी दुर्गा रेखा पिता गंगाराम जाति भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा)

आ.न.	रकबा	लगान
21/1	0.04	0.32
45/1	0.23	0.69
56	0.14	0.42
165/2	0.81	5.67
4	1.22	7.10

2- भाना पिता रकबा भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा)

आ.न.	रकबा	लगान
21/2	0.04	0.32
68 मी	0.16	0.48
69 मी	0.18	0.54
165 मी	0.21	1.47
168	0.65	4.55
5	1.24	7.36

3- सका पिता रकबा भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा)

आ.न.	रकबा	लगान
21/3	0.04	0.32
45/2	0.31	0.93
142	0.86	6.02
3	1.21	7.27

4- प्रकाश पिता मांगु भीणा मु. कमलीबाई बेवा मांगु भीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा)

आ.न.	रकबा	लगान
21 मी	0.04	0.32
95	0.58	1.74
165/1	0.60	4.20
3	1.22	6.26

5- बाबरू पिता दोला 1/2 केसरसिंह पिता दोला मृतक के बजाय अमरसिंह मोहनसिंह गुडीबाई रामीबाई पिता केसरसिंह 1/2 मीणा नि० लक्ष्मीपुरा (केवलपुरा)


आ.न.	रकबा	लगान
34	0.21	0.63
45 मी	0.64	1.92
64	0.39	1.17
68/1	0.18	0.54
69/1	0.17	0.51
73	0.17	0.51
6	1.76	5.28

इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। पचा डिक्री बनायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.6.2018 को लोक अदालत में सुनाया गया।

मोहर




जितेन्द्र कुमार पाण्डे
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर बडीसादडी